HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 17060/2026
CNR: RJHC021040952026 | URN: CRLMB / 31460U / 2026

Smt. Deepika S/o Bhanwar Lal Godara, Aged About 34 Years, R/o Aakoda, Tehsil Jayal, Police Station Surpaliya, District Nagaur, Current Junior Engineer, Ajmer Vidhyut Vitaran Nigam Limited, Chidawa, District Jhunjhunu. (At Present Accused Confined In Jail, Jhunjhunu).

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Rajeev Kumar Sogarwal
For Respondent(s)	:	Mr. S.R.Dhakad, PP

HON'BLE MRS. JUSTICE SHUBHA MEHTA

Order

30/10/2026

प्रार्थिया/अभियुक्ता की ओर से जमानत का यह प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पुलिस थाना **सीपीएस जयपुर** में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या **292/2026** अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में जमानत का लाभ दिए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है।

बहस जमानत प्रार्थना–पत्र के दौरान विद्वान अधिवक्ता प्रार्थिया/अभियुक्ता का तर्क है कि प्रार्थिया को प्रकरण में मिथ्या संलिप्त किया गया है। उनका तर्क है कि प्रार्थिया बिजली विभाग में कनिष्ठ अभियंता के पद पर कार्यरत है तथा बिजली विभाग के ठेकेदार के द्वारा कोई शिकायत की गई थी, वह उपभोक्ता संदीप की बिजली की लाइन परिवर्तन के लिए 25 हजार रूपये की राशि की थी। उस पर यह आक्षेप है कि उसने उक्त कार्य के बदले 15 हजार रूपये की राशि की रिश्वत प्राप्त की। उनका तर्क है कि प्रार्थिया/अभियुक्ता के स्वयं के पास से किसी प्रकार की राशि बरामद नहीं हुई है

कार्यालय की दराज से राशि बरामद होना बताया गया है। जिस उपभोक्ता की लाइन बदलवाने के सम्बन्ध में शिकायत की थी, उसकी तरफ से कोई शिकायत नहीं की गई है। उनका तर्क है कि प्रार्थिया के पास कोई कार्य इस सम्बन्ध में लम्बित ही नहीं था। उनका यह भी तर्क है कि प्रार्थिया दिनांक 05.10.2026 से अभिरक्षा में है। वह महिला है। अब उसकी अभिरक्षात्मक पूछताछ के लिए कोई आवश्यकता नहीं रही है। प्रकरण के अन्वेषण एवं अन्वीक्षा में समय लगेगा। अतः प्रार्थिया को जमानत पर मुक्त किया जावे।

इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक का तर्क है कि प्रार्थिया/अभियुक्ता ने कनिष्ठ अभियंता के पद पर होते हुए बिजली की लाइन बदलवाने के कार्य के लिए राशि मांगी है और उसके कार्यालय की स्वयं की दराज में से वह राशि बरामद भी हुई है। राशि की मांग के सम्बन्ध में पत्रावली पर लिप्यांतरण (Transcription) भी उपलब्ध है। गम्भीर अपराध है, अतः प्रार्थिया को जमानत का लाभ नहीं दिया जावे।

दोनों पक्षों के तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया।

पत्रावली के अध्ययन से प्रकट होता है कि प्रार्थिया–अभियुक्ता के विरूद्ध धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) के अपराधों का आरोप है। उसके कार्यालय की दराज से 15 हजार रूपये की राशि बरामदगी होना बताया गया है। अब उससे किसी प्रकार का अभिरक्षात्मक अनुसंधान किया जाना प्रकट नहीं हो रहा है। वह महिला है एवं दिनांक 05.10.2026 से अभिरक्षा में है। प्रकरण के अन्वेषण तथा अन्वीक्षा में समय लगने की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। उसके विरूद्ध पूर्व का कोई आपराधिक इतिहास भी नहीं रहा है। अतः उपर्युक्त तथ्यों–परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इस स्तर पर मामले के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना, प्रार्थिया–अभियुक्ता की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः प्रार्थिया–अभियुक्ता **दीपिका पत्नी भंवर लाल गौदारा** की ओर से प्रस्तुत उक्त जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी–अभियुक्त इस मामले में योग्य विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उसे बुलाया जाए, उपस्थिति हेतु एक लाख रूपये का बन्ध–पत्र एवं पचास–पचास हजार रूपये की दो प्रतिभूतियां प्रस्तुत कर

तस्दीक करवा दे तथा उसकी किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो, तो उसे जमानत पर रिहा कर दिया जाये।

(SHUBHA MEHTA),J

60/AJAY KUMAR SINGHAL